राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय (कल्याण शाखा)
पुराना सचिवालय: दिल्ली-110054

संख्या: डीई: 23(50)/कल्याण/94-903-1403 दिनांक: 23.9.94

ज्ञापन

दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि विद्यार्थी जो देश की भावी निधि हैं और देश के निर्माता हैं, उनके सर्वांगीण विकास में चरित्र एवं नैतिकता का प्रथम स्थान है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नैतिक शिक्षा का ज्ञान प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करना चाहती है उसी के संदर्भ में निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिल्ली के सरकारी, अनुदान प्राप्त तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों को दिये जा रहे हैं जिनका परिपालन प्रत्येक विद्यालय के लिये अनिवार्य है।

1. प्रार्थना सभा

शुभ कार्य से दिनचर्या आरम्भ करना सफलता का सूचक है। इसलिये प्रत्येक विद्यालय मे प्रार्थना सभा अनिवार्य रूप से आयोजित की जाये और उसके लिये अग्रलिखित सिद्धांतों का अनुकरण किया जाये।

(क) अनुशासन:

प्रार्थनासभा में प्रधानाचार्य/अध्यापक/विद्यार्थी एवं अन्य कर्मचारी अवश्य सम्मिलित हों और इसे गंभीरता से लें।

(ख) समय परिपालन एवं नियमितता:

प्रार्थना सभा में सभी अनिवार्य रूप से सम्मिलित हों और सबकी उपस्थिति पंजिका में अंकित की जाये और प्रार्थना सभा निश्चित समय के अन्तर्गत सम्पन्न हो।

(ग) प्रतिभागिता एवं कार्यक्रम योजना:

प्रार्थना सभा मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक और वार्षिक आधार पर संगठित की जाये। इसके लिये एक कमेटी बनाई जाये और वही यह निश्चित करें कि कौन-कौन से बिन्दुओं पर विद्यार्थी/अध्यापक एवं प्रधानाचार्य बोलेंगें।

(घ) विविधता:

वार्षिक योजना बनाते समय कार्यक्रमों मे विविधता का विशेष ध्यान रखा जाये ताकी कार्यक्रम रोचक बना रहे।

जारी....

दैनिक कार्यक्रम :

प्रार्थना सभा 15 मिनट के अग्रलिखित कार्यक्रम अनुसार हो ।

(अ) राष्ट्रीय गीत...वंदेमातरम...। मिनट
(ब) प्रार्थना ...3 मिनट
(स) समुहगान/सामुहायिक गीत...3 मिनट
(द) "आज का विचार" एक व्यक्ति या अध्यापक द्वारा ...2मिनट
(ध) विद्यार्थी/अध्यापक/प्रधानाचार्य और आमंत्रित वक्ता..5मिनट
(ड) राष्ट्रीय गान.... । मिनट कुल...15 मिनट

1. वन्देमातरम:

कविता ा पहला चरण सम्मिलित किया जाये जिसकी प्रति प्रत्येक कक्षा मे और विद्यालय के अन्य कक्षों मे चिपकाई जाये । छात्र/छात्रा, अध्यापक/अध्यापिका एवं प्रधानाचार्य सभी इसका समुचित रूप से अभ्यास करें ताकि राष्ट्रीय गीत का गान नियमानुसार हो सके ।

2. प्रार्थना:

प्रार्थना में विविधता हो जिसका विषय ईश्वर, सद्भावना, मानवीयता एवं विचारपूर्ण हो । एक ही प्रार्थना को सालभर न दोहराया जाये ।

3. समूहगान:

यह राष्ट्रीयता एवं मानवीयता की भावना से परिपूर्ण हो और समस्त विद्यार्थी इसे एक स्वर में गायें । इसके लिये प्रशिक्षक, आडियो कैसेट आदि की व्यवस्था विद्यालयों में की जाये ।

4. आज का विचार :

समाचा /साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक आदि पत्र-पत्रिकाओं, महापुरुषों की जीवनी आदि के अंश अध्यापक/छात्रों से पढ़वाये जायें ।

उद्बोधन एवं भाषण:

प्रतिदिन एक अध्यापक या विद्यार्थी किसी एक विषय पर जैसे :-

क.... राष्ट्रीय एवं अन्य त्यौहार
ख... सामाजिक बुराईयां या समस्याओं और उनका निदान
ग... स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन के महत्वपूर्ण कार्यानुभाव ।
घ... अपने देश को जानो..भौगोलिक स्थिति तथा सांस्कृतिक/साहित्य में उपब्लि धियां । नैतिक मूल्यों जैसे ...मानवीयता, सहयोग, सहिष्णुता, त्याग आदि पर बोलें ।

जारी...3

राष्ट्रीय गान :

प्रार्थना सभा का समापन राष्ट्रीय गान से किया जाये और राष्ट्रीय गान उसके वास्तविक स्वरूप में सम्पन्न किया जाये ।

साप्ताहिक एवं मासिक सभा:

साप्ताहिक एवं मासिक सभाएं/बाल सभा या सदन व्यवस्था के रूप मे संगठित होकर ... जी जायें और ये सभाएं सप्ताह के किसी भी कार्यदिवस में आधे दिन में मनायी जायें जिसमें नैतिक शिक्षा प्रदान करने हेतु अग्रलिखित प्रावधान रखे जायें ।

(क) बालसभा का उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों के साथ-साथ मनोरंजन और ज्ञान के विकास के लिये हो ।

(ख) बाल सभा या सदन के कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को अधिक महत्व दिया जाये ।

(ग) निम्न कक्षाओ में नैतिक शिक्षा कहानी, कविता और भाषाण से तथा उच्च कक्षाओं में सेमिनार, वाद-विवाद के द्वारा की जाये । इन कार्यक्रमों के आयोजन में अभिभावकों एवं समुदाय के लोगो को भी शामिल किया जाये ।

मुख्य कार्यक्रम:

1. कविता पाठ :

चयनित कविता, छन्द, दोहे आदि विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से पाठ करवायें ।

2. समूहगान :

समस्त विद्यार्थियों से करवाया जायें ।

3. भाषाण:

विद्यार्थियों से आदर्श मित्र के गुण, जीवन उद्देश्य, मेरा आदर्श अध्यापक, विद्यार्थी के कर्त्तव्य, मेरा शहर, मेरा प्रेरणा स्त्रोत आदि जैसे शीर्षकों पर तथा पूर्व निर्धारित विषयों पर भाषाण दिलवायें । भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं, मानवीयता, सदाचरण, भारत के साहित्यकारों, लेखकों एवं महात्माओं के बारे में तथा नागरिकों के लिये आचरण संहिता जैसे विषयों पर भाषाण कराया जाये । संस्कृत के मंत्रों, श्लोकों एवं आयतों आदि का भी सस्वर पाठ किया जाये ।

जारी....4..

4. विद्यार्थियों को कहानी सुनाना :

किसी विषय का नाटक करण किया जाये तथा विभिन्न विषयों पर वार्द -विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाये ।

विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिये स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, मानव अधिकार दिवस तथा महापुरुषों का जन्मदिवस विद्यालयों में उत्साह और गंभीरता से मनाया जाये ।

सामुदायिक एवं सामाजिक सेवाएं:

प्रत्येक विद्यार्थी को वर्ष में 1-2 बार विद्यालय मे विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन करके में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाये ।

स्काउंटिंग, रेडक्रास, एन. सी. सी. और एन. एस. एस.

विद्यालयों मे इन संगठनों के द्वारा नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने के लिये जो भी उपलब्ध विचार एवं परामर्श दिये गये हैं उनके आयोजन, संचालन में पूर्ण ध्यान दें ।

सफाई अभियान:

विद्यालयों मे साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक और वार्षिक सफाई का अभियान का आयोजन किया जाये जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनीस्वंय की साफ-सफाई के साथ-साथ कक्षा-कक्षाओं/प्रयोगशालाओं, विद्यालय प्रांगण और जो भी अन्य स्थान विद्यालय में उपलब्ध हों की साफ सफाई करेगा जिससे विद्यार्थी में परिश्रम के मूल्यों एवं कार्य अनुभव पर आधारित शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो सके ।

अंर लिखित समस्त कार्यवाईयां अग्रलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक हैं

(1) विद्यार्थियों में माता, पिता एवं अन्य बड़ों के लिये सम्मान ।
(2) महिलाओं का सम्मान ।
(3) अंधो, बहरे, गूंगे अपंग, बीमार और दीन-जनों के लिये आदर ।
(4) घायल एवं मृत व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाना ।

जारी....5..

(5) पड़ोस में किसी भी दुर्घटना एवं अपराध की सूचना पुलिस को देना ।

(6) स्वास्थ्य और स्त्री पुरुषों के संबंधों की स्वस्थ जानकारी देना ।

(7) परिवार कल्याण, नागरिकता, अन्तर्राष्ट्रीयता, सम्पूर्ण साक्षरता आदि की उपलब्धि के लिये चेतना जागृत करना ।

आज्ञा से,

(नाथू सिंह टोलिया)
उपशिक्षा निदेशक (कल्याण/विद्यालय)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त विद्यालय प्रमुख.. सरकारी/मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त विद्यालयों को परिपालनार्थ ।
2. समस्त उपशिक्षा निदेशक...पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/मध्य/जनसंख्या/विज्ञान/विधि/पाठ्यपुस्तक/सर्वशिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा ।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक (योजना/वित्त/प्रशासन).
4. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (प्रशा./वित्त/योजना/सर्वशिक्षा) ।
5. शिक्षा निदेशक ।
6. आयुक्त एवं सचिव शिक्षा ।
7. शिक्षा निदेशक.. दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका को इस आशय के साथ की ज्ञापन को अपने प्रत्येक विद्यालय में परिपालन हेतु उपलब्ध करायें ।
8. सचिव (शिक्षामंत्री/वित्तमंत्री/स्वास्थ्य मंत्री/खाद्य एवं आपूर्तिमंत्री/समाज कल्याणमंत्री) ।
9. सचिव मुख्य मंत्री ।
10. सचिव मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार ।
11. सचिव, उपराज्यपाल ।
12. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

30/9/94

(नाथू सिंह टोलिया)
उपशिक्षा निदेशक (कल्याण/विद्यालय)